(क) प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्ति :

ये मार्गदर्शक सिद्धांत छ.ग. के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुये लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

2. प्रवेश की तिथि :

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना –

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाणपत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किए जावेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जाएगी। बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किए जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किए जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना –

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 9 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 23 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेदश देने में समक्ष होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन जो पहले हो, मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों का स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावे। किन्तु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही प्रवेश दिया जावेगा।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना –

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोशित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।

2.4 स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए –

पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी। अन्य कक्षाओं में 09 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 23 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से अस्थायी प्रवेश देने हेतु प्राचार्य सक्षम होंगे तथा नियमित प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय में पूरक परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोपित होने की तिथि से 15 दिन जो भी पहले हो मान्य होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :

31. महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपभोग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्र संख्या का निर्धारण करेंगे।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावेगा।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालय में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं जहां आवश्यकता हो स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जावेगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में 23 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

विशेष :- यदि छात्र घोषित प्रवेश सूची की अंतिम तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं करता है तब रिक्त स्थानों पर दूसरी प्रवेश सूची जारी कर दी जायेगी। दूसरी प्रवेश सूची में प्रवेश हेतु चयनित छात्र/छात्राएं यदि नियम तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं करते हैं तब प्रथम सूची के इच्छुक छात्रों / छात्राओं को रिक्त स्थान रहने पर गुणानुक्रम के आधार पर विलंब शुल्क के साथ प्रवेश दिया जावेगा। तत्पश्चात अगली सूची स्थान रिक्त होने पर जारी की जावेगी, यह क्रम चलता जावेगा।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1. निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा -

(क) छ.ग. के मूल/स्थायी, छ.ग. में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छ.ग. में हो, उनके पुत्र-पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जावेगा। उपरोक्तानुवसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से या सम्बद् विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों या विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश -

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

10+2 परीक्षा का तात्पर्य छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडिएट बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर, नियमित प्रवेश –

(क) बी.कॉम./बी.एच.एससी./स्नातक परीक्षा/आवेदित विषय लेकर बी.एससी. उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: एम.कॉम., एम.एच.एससी./एम.ए./एम.एससी. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय विषय में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय, नियमित प्रवेश –

(क) स्नातक परीक्षा, उत्तीर्ण आवेदकों की विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: एल.एल.बी., तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा –

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40 प्रतिशत तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहां 45 प्रतिशत होगी। एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा :

6.1 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन/सी.बी.एस.ई तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची संवद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यत: भारत में स्थित विश्वविद्याल जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छ.ग. के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। उस्मानिया एवं ककातिया (काकतीय) विश्वविद्यालय, जैसे बी.ए./बी.कॉम., डायरेक्ट वन सीटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं हैं।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी./बी.एच.एससी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है, किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाए जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावेग। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हीं विषय/विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा कंपार्टमेंट प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम / द्वितीय / तृतीय में पूरक / एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक की प्रथम / द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खंड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश स्वत: निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश, नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु आर्हताएं :

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित न होने / अध्ययन छोड़ देने / अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुन: नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और/या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के लिये गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।

9.3 महाविद्यालय में तोड़–फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैंकिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है।

9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम स्तर प्रथम वर्ष 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार / भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्र पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु सीमा का वंधन नहीं होगा।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय छोड़कर, अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदन होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिकार देय हैं, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग अलग गुणानुक्रम की सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार होगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा–उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी, एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्र।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 प्रतिशत एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वार अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या उसके आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर तहसील/जिलों की सीमा में लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्रामिकता देते हुये प्रवेश दिया जावेग। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों में समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विष समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।

12. आरक्षण :

म.प्र. शासन आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा –

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमशः 15 तथा 32 प्रतिशत आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के सीट आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों एवं उनके पुत्र पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों का 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पीटिशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जावेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिये पर्याप्त छात्र/छात्राएं उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिये उपलब्ध रहेंगे।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

13. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु उसका उपयोग नहीं किया जाये। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13. एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	–	20 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''बी'' या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	–	03 प्रतिशत
(ग)	''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	–	04 प्रतिशत
(घ)	राज्यस्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	–	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./ एन.सी.सी. कनिटजेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को	–	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	–	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	–	10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	–	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	–	15 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को /अंतराष्ट्रीय जम्हूरी के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थी को	–	15 प्रतिशत

13.2	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विषय को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	–	10 प्रतिशत
13.3	स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर	–	05 प्रतिशत

13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज रूपांकन प्रतियोगिताएं –

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च विभाग द्वारा आयोजित अन्तर संभाग स्तर अथवा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	–	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	–	04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में–

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	–	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	–	07 प्रतिशत
(ग)	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	–	05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में–

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	–	15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	–	12 प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	–	10 प्रतिशत

13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा माईन्स अथवा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को – 10 प्रतिशत

13.6 छ.ग. शासन/म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में –

(क)	छ.ग. / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम को	–	10 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्यों को	–	12 प्रतिशत

13.7 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को – 01 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन –

एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलंपियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम में आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाये जिनकी उन्हें पात्रता है।

बशर्ते कि –

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों के संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है। परंतु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिये उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत विगत तीन कृषि सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे व। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय ग्रुप परिवर्तन :

(क) स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा।

(ख) महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलंब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र :

शासकीय महाविद्यालय में पी-एच.डी.के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इसकी समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र अपूर्ण आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्रों के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. निर्देशक हेतु महाविद्यालय में पदास्थ मान्य प्राध्यापक सुपर-वाइजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन करना अनिवार्य होगा। शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध कार्य के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा। महाविद्यालय में पदस्थ सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र उसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं, जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध छात्र का शोध प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष :

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाए गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी कारण समुचित कारण, पूर्ण अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड देने अथवा प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जावेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप या अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शक आयुक्त, उच्च शिक्षा छ.ग. रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।

संचालक
उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़
रायपुर (छ.ग.)

(ख) विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम :

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली गलौच, मारपोट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अध्ययन सम्बन्धी नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दंड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालयों में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दंडात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयास गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताडना प्रतिरोध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक की कारावास की सजा या पांच हजार रूपए जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क या भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक या अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

(ग) उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 6 के अनुसार नियमित (महाविद्यालय के) छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जावेगा।

(घ) विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये प्राचार्य सक्षम हैं। अनुशासनहीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दंड का प्रावधान है :-

(1) निलंबन, (2) निष्काशन, (3) विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना, (4) रेरिटकेशन।

(छ) प्रवेश लेने की विधि :-

सभी विद्यार्थी जो इस महाविद्यालय में प्रवेश के लिए इच्छुक हों या वे उत्तीर्ण हो कर आगामी कक्षा में प्रवेश पाना चाहते हों, इसय विवरण पत्रिका के साथ संलग्न आवेदन पत्र को संपूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। विशेष परिस्थितियों में यदि इस तिथि में वृद्धि की गई तो उस आशय की सूचना, महाविद्यालय फलक पर लगा दी जावेगी। छात्र स्वयं आवेदन पत्र भरेंगे तथा आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर महाविद्यालय कार्यालय में मुख्य लिपिक के पास प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि पर छात्र/छात्राओं को साक्षात्कार हेतु प्रवेश समिति के सदस्यों के समक्ष समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना होगा। जो छात्र/छात्राएं साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं होंगे उनको प्रवेश नहीं दिया जावेगा। जिन छात्रों को प्रवेश के योग्य समझा जावेगा, उसके नाम सूचना फलक पर प्रकाशित होंगे। तब वे शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक छात्र को निम्न प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना चाहिये :-

1. जहां कोई विद्यार्थी पिछले सत्र में पढ़ता था, वहां के मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
2. पिछली कक्षा की अंकसूची की, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि।
3. प्रवासी सर्टिफिकेट (अन्य विश्वविद्यालय या वोर्ड से आने वाले आवेदक के लिए)।
4. प्रार्थी अगर पेशे में हो तो अन्य वरिष्ठ अधिकारी का अनुमति पत्र।
5. यदि पिछली परीक्षा स्वाध्यायी परीक्षा के रूप में उत्तीर्ण की हो तो राजपत्रित अधिकारी से ताजा चारिश्कि प्रमाण पत्र।
6. शिक्षा शुल्क में छूट चाहने वालों के लिए संबंधित प्रमाण पत्र।
7. अधिभार पाने हेतु उपयुक्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित सत्य प्रति।
8. पात्रता प्रमाण पत्र गुरु घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा जारी (अन्य विश्वविद्यालय या वोर्ड से आने वाले आवेदक के लिये)।

नोट :-

1. छात्र/छात्राएं अलग-अलग विषय/समूह के लिये अलग-अलग आवेदन करेंगे
2. अपूर्ण अथवा वांछित प्रमाण पत्रों से रहित तथा अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. प्रत्येक छात्र स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रवेश संबंधी कार्य पूर्ण करेगा तथा अपना शुल्क भी स्वयं जमा करेगा। प्रत्येक छात्र से केवल उसी का शुल्क स्वीकार किया जावेगा।
4. प्रवेश संबंधी सभी सूचनाएं छात्र स्वयं सूचना फलक पर देखें।
5. अस्थायी प्रवेश विशेष परिस्थिति में दिया जावेगा परंतु निर्धारित अवधि तक प्रवेश को स्थायी करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र का होगा। अन्यथा प्रवेश अपने आप निरस्त हो जावेगा।
6. प्रत्येक विद्यार्थी को गुरू घासीदास विश्वविद्यालय में अपना नामिनेशन कराना आवश्यक हे और जो विद्यार्थी नहीं करा सकेंगे, चाहे कुछ भी कारण क्यों न हो, उसको विश्वविद्यालय परीक्षा में वैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और उनके द्वारा प्रदत्त महाविद्यालय का कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। महाविद्यालय इस प्रकार की किसी आसवधानी के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। जब तक छात्र को नामांकन क्रमांक प्राप्त नहीं हो जाता प्रवेश अस्थायी माना जावेगा।
7. प्राचार्य को यह अधिकार है कि वह बिना कारण बताये किसी विद्यार्थी को प्रवेश के लिये मना कर दें इस विषय में कोई भी कानूनी कार्यवाही करने का हक किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा
8. प्रत्येक विद्यार्थी को अपना नाम, अपने विषय, कक्षा, पुस्तकालय, एन.सी.सी. यूनिट एवं खेलकूद के रजिस्टरों में लिखवानें के लिए प्रवेश प्राप्ति के बाद संबंधित अधिकारी को अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा तभी उसका नाम संबंधित रजिस्टरों में अंकित किया जावेगा।

(ज) विशेष निर्देश :

1. इस पत्रिका में वर्णित सभी नियमों का एवं समय-समय पर प्राचार्य द्वारा प्रसारित अन्य नियमों, आदेशों एवं सूचनाओं का पालन करना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है।
2. प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है कि वह महाविद्यालय के सूचना फलक को प्रतिदिन देखें। इससे छात्रों को सभी आवश्यक सूचना मिल जावेगी और वे गलतियों से वचेंगे।

3. छात्र अनुशासन से रहें, नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में आकर ध्यानपूर्वक पढ़ें। अतिरिक्त समय का भी सदुपयोग करें।

4. कोई शिकायत होने पर कानून अपने हाथ में न लें। संबंधित अधिकारी से रिपोर्ट करें ताकि अपराधी के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जा सके।

5. अपनी सायकलें यथा स्थान पर रखें।

6. परीक्षा के दिनों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें।

7. अभिभावकों और पालकों से अपेक्षा है कि छात्र को उचित संरक्षण दें तथा महाविद्यालय से उसके अध्ययन संबंधी शुल्क, उपस्थिति एवं आचरण संबंधी जानकारी प्राप्त करते रहें।

8. छात्रों को दीपावली एवं ग्रीष्म अवकाश के समय घर जाने के लिये रेल्वे कन्सेशन की व्यवस्था है। इस सुविधा के लिये उचित समय पर पालकों के प्रति हस्ताक्षर सहित आवेदन देना होगा।

9. प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों में सूचना अनुसार समय-समय पर होने वाले संशोधनों एवं परिवर्तनों से अवगत रहना चाहिए। इस संबंध में महाविद्यालय का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा।

10. छात्रों को यह भी ध्यान रखना चाहिए जो छात्र महाविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित परिषदों में पदाधिकारी या सदस्य के रूप में कार्य करते हैं या कहीं टीम के सदस्य या कप्तान रहते हैं या विभिन्न अवसरों पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं वे छात्र तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित प्राध्यापक या अधिकारी से सत्र के अंत तक अवश्य प्राप्त कर लें। अगले सत्र में पिछले सत्र के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना संभव न होगा। (केवल टी.सी. और चारित्रिक प्रमाण-पत्र को छोड़कर)

11. विश्वविद्यालय द्वारा कक्षा प्रवेश की अंतिम तिथि / तिथियां निर्धारित की जाती है। जो शासकीय महाविद्यालय के लिये केवल मार्गदर्शक है और इन तिथियों तक प्रवेश देने के लिये महाविद्यालयों को बाध्य नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालय भले ही प्रवेश की अनुमति देने को तैयार हो, महाविद्यालय अपनी सुविधा के अनुसार प्रवेश बंद करने के लिये स्वतंत्र होगा। महाविद्यालय द्वारा निश्चित की गई तिथि तक सभी प्रवेश नियमानुसार पूर्ण कर लिये जावेंगे और उसे बाद शासन की पूर्वानुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

12. उपरोक्त नियमों में परिवर्तन, संशोधन, परिवर्द्धन करने का अधिकार सुरक्षित है।

स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु प्रायोगिक सुविधा :- प्रायोगिक संबंधी कार्य के लिये स्वाध्यायी विद्यार्थियों को 275/- देना होगा जबकि महाविद्यालय प्रशासन अपनी सुविधा अनुसार स्वाध्यायी विद्यार्थियों को प्रायोगिक कार्य हेतु सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

बीमा सुविधा :- महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थियों का शासन निर्देशानुसार बीमा कराया जाता है। दुर्घटना या मृत्यु हो जाने पर उचित बीमा राशि अधिकतम 50,000/- रूपये संबंधित को देय होगी। जिसके लिए विद्यार्थी को प्रवेश लेते समय या निर्धारित राशि शुल्क के साथ जमा करना होता है।